



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल 2013—चैत्र 27, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 2837-135-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव,

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक १६ अप्रैल, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, में दिनांक १७ अप्रैल, २०१३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, संक्षिप्त नाम, २०१३ है।

२. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ (क्रमांक १४ सन् २००६) की धारा २ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द “४५ दिन” जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द “९० दिन” स्थापित किए जाएं। धारा २ का संशोधन।

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 2838-135-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH UCHCHA NYAYALAYA (KHAND NYAYPEETH KO APPEAL)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 17th April, 2013.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

**Amendment of
Section 2.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), in sub-section (2), for the figure and word “45 days”, wherever they occur, the figure and word “90 days” shall be substituted.